न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 28 / 2021

1 सुभाषचन्द्र शर्मा उम्र 75 साल पुत्र श्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी डाबड़ी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 पुरूषोतम लाल शर्मा उम्र 84 साल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी डाबड़ी हाल मान नगर रोड़ नम्बर 2 व 3 के बीच झुन्झुनू डॉ. मेहरानिया के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी स्व. श्री सन्तकुमार जी वैद्य उम्र 85 साल जाति ब्राह्मण निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती सम्पदा देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी स्व. श्री बाबुलाल जी हिसारिया उम्र 83 साल जाति ब्राह्मण निवासी ढण्डो का दरवाजा हाल वार्ड नम्बर 43 राणी सती मन्दिर के पास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी स्व. श्री पुरूषोतमलाल पचलंगिया उम्र 77 साल जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला ईलाइचो का मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
5 श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल शर्मा उम्र 67 साल जाति ब्राह्मण निवासी बेरला तहसील चरखीदादरी जिला भिवानी हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी श्री महावीर प्रसाद उम्र 65 साल जाति ब्राह्मण निवासी बेरला तहसील चरखीदादरी जिला भिवानी हरियाणा।

7 श्रीमती सरोज देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद पत्नी श्री भीमजी शर्मा उम्र 63 साल जाति ब्राह्मण मुकाम पोस्ट झिरवाई जिला भिवानी हरियाणा।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू राज. दावा उनवानी सुभाषचन्द्र शर्मा बनाम राज. सरकार वगै. दावा बाबत घोषणा
रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 107/2016

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री वीरेन्द्र सीगड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट राजकीय

—निर्णय—

दिनांकः— 19.11.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर में स्थित कृषि भूमि जिसका आवंटन अपीलान्ट की माता नरबदा देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को 2 बीघा 10 बिश्वा दिनांक 19.01.1979 को हुआ था उक्त भूमि में अपीलान्ट द्वारा स्व. नरबदा देवी के विधिक उत्तराधिकार होने से आवंटन शुदा भूमि के खातेदारी की घोषणा स्वयं के हक में करवाने का दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया था। विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो एकपक्षीय रूप से तैयार की गई थी को आधार मानकार अपीलान्टस का दावा खारिज फरमा दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब दावा मानकर प्रकरण खारिज किया गया है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2020 निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्टस की माता नरबदा देवी को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के अलोटमेंट कमेटी झुन्झुनू के आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1976 के द्वारा नरबदा पत्नी स्व. जगदीश प्रसद शर्मा को खसरा नम्बर 364 में 2 बीघा 10 बिश्वा भूमि आवंटित होने व पूराना खसरा नम्बर 364/1 से वर्तमान खसरा नम्बर 891, 892, 893, 894, 895 कायम होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.10.2019 को रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर अपीलान्टस के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही अपीलान्टस को उक्त रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कोई सूचना नहीं दी गई है केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मौके पर कब्जा प्रतीत नहीं होने को आधार मानकर व ग्राम डाबड़ी धीरसिंह में अपीलान्टस का निवास नहीं करने का आधार मानकर अपीलान्टस का दावा विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से खारिज किया गया है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने व जवाब देही करने का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया नहीं अपनाई है। अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है जो कोविड 19 महामारी के कारण स्वास्थ्य के मध्य नजर विचारण न्यायालय के यहां जाकर प्रकरण के संबंध मे जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। अपीलान्टस द्वारा माह मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में स्वयं के अधिवक्ता से मिले व प्रकरण की जानकारी चाही तब अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस को जानकारी दी गई कि अपीलान्टस का दावा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को खारिज कर दिया गया है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय के यहां दावा के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्टस को दिनांक 22.03.2021 को दावे के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रति मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद है फिर भी इस के यहां अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 1220 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 891 व 895 मौके पर खाली पड़ी है तथा मौके पर कब्जा प्रतीत नहीं होता है डाबड़ी धीर सिंह के मौजुद व्यक्तियों द्वारा सुभाषचन्द्र शर्मा, पुरूषोत्तम लाल शर्मा, पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

शर्मा जाति ब्राह्मण नाम का व्यक्ति ग्राम डाबड़ी धीर सिंह में नहीं रहते है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा अपने पिता जगदीश प्रसाद को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 24.06.1976 को गत खसरा नम्बर 364 में से 2 बीघा 10 बिश्वा भूमि आवंटन होने के आधार पर हाल खसरा नम्बर 419 में 2 बीघा 10 बिश्वा की खातेदारी का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 364 के हाल खसरा नम्बर 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895 बनना प्रकट होता है। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार हाल खसरा नम्बर 891, 892, 893, 894, 895 की खातेदारी सिवायचक दर्ज है। इन पर मौके पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)